

36
17/5/17

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज)

प्रकरण संख्या 40/2017

सदा क्वंर पं. प्रमसिंह वनाम (1) रामसिंह पी. नंदसिंह राजपूत नि. सुखी
राजपूत नि. सुखीप। (2) शिवसिंह पी. नंदसिंह राजपूत नि. सुखी
(3) कलासिंह पी. माहरसिंह राजपूत नि. सुखीप।

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक- 16/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री सदाक्वंर पं. प्रमसिंह राजपूत नि. सुखीप। ने जलिय विपक्षीया
श्री सुरेश सिंह राजपूत ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एक
खात की भूमि ग्राम सुखीप। प0ह0 कलापुरा तह0 माण्डलगढ
158/137

जिला 1 रकबा 5 बीघा - विस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीयण आर
विवाद का लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कर
साथ से प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान
की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली से संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 के अवलोकन से प्रार्थी
आराजीयात का खातेदार / गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद का
शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव न
है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार
ग्राम सुखीप। की आराजी न0- 158/137 जिला 1

रकबा 5 बीघा - विस्वा - की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी
क आदेश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया
कमीशनर फीस 250 /रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अवा क
पत्थरगढी की शुल्क राशि 100 /रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनाथ
माण्डलगढ को लिखा जाये।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।